राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

कमांक : 20(5)त.शि. / 04–पार्टI — जयपुर, दिनांक, 13 अक्टूबर, 2020

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय
झालावाड।

विषय :– Approval of Minutes of meeting dated 21-09-2020 of Board of Governors.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके महाविद्यालय की बीओजी की बैठक दिनांक 21.09.2020 में लिये गये निर्णयों के कम में प्रस्तुत कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। अतः बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. स्टेट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एसपीआईयू टेक्यूप–III जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि

अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशाषी संस्थान)

ग्राम चन्दलोई, सुनेल रोड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ 326023

कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting)

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ की शाषी परिषद की 17वीं बैठक दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को मध्यान 12:30 बजे माननीय डॉ. सुभाष गर्ग, अध्यक्ष, शाषी परिषद, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में Online Video Conferencing के माध्यम से आहूत हुई। उक्त बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे–

1. श्रीमति शुचि शर्मा, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. प्रो. आर. ए. गुप्ता, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
3. प्रो. उपेन्द्र पण्ड़ेल, मालवीय राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, जयपुर
4. प्रो. अश्विनी चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरथकल
5. प्रो. जे. के. शर्मा, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
6. डॉ. अचला नागर, सहायक आचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़
7. डॉ. नितिन आर्य, सहायक आचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़
8. डॉ. करतार सिंह, सदस्य सचिव, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ एवं प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त निम्न विशेष आमंत्रित सदस्य भी उपस्थित रहे–

1. श्री अनिल कुमार अग्रवाल, संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. डॉ. मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. डॉ. संदीप कुमार, निदेशक, सी.ई.जी., जयपुर
4. प्रो. यू. ए. दबाडे, स्टेट प्रोजेक्ट एडवाईजर (TEQIP-III), राजस्थान, जयपुर
5. डॉ. अंकुर पारीक, नोडल आफिसर (अकादमिक), स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट (TEQIP-III), राजस्थान, जयपुर

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में निम्नानुसार प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिये गये–

प्रस्ताव संख्या 17.01: राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ की 16वीं शाषी परिषद् की बैठक दिनांक 23.06.2020 के कार्यवाही विवरण (मिनट्स) की पुष्टि अनुमोदनार्थ।

विवरण: शाषी परिषद् की 16वीं बैठक दिनांक 23.06.2020 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय: अनुमोदित ।

प्रस्ताव संख्या 17.02: राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ की शाषी परिषद् की 15वीं व 16वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के कम में कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report) की पुष्टि व कियान्विति अनुमोदनार्थ।

विवरण: शाषी परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 14.05.2020 तथा 16वीं बैठक दिनांक 23.06.2020 के अनुमोदित कार्यवाही विवरण (मिनिट्स) के कम में कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report) माननीय सदस्यों के समक्ष पुष्टि व अनुमादनार्थ रखा गया।

निर्णय: अनुमोदित ।

प्रस्ताव संख्या 17.03: नवीन प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है–

प्रस्ताव संख्या 17.03.01: TEQIP-III प्रोजेक्ट के अर्न्तगत 3rd Quarter (October to December, 2020) के लिये प्रस्तावित Action Plan अनुमोदनार्थ।

विवरण: अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ में TEQIP-III प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन (Implementation) के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के 3rd Quarter (October to December, 2020) के लिये प्रस्तावित Action Plan माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय: अनुमोदित ।

प्रस्ताव संख्या 17.03.02: TEQIP-III प्रोजेक्ट की सीमा अवधि में वृद्धि होने के कारण, फन्ड की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त Procurement Plan अनुमोदनार्थ।

विवरणः अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ में TEQIP-III प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पूर्व के Procurement Plans से शेष रही राशि तथा TEQIP-III फण्ड से Curtailment किये गये फण्ड के Reinstate होने के दृष्टिगत अतिरिक्त Procurement Plans माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमादनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः अनुमोदित ।

प्रस्ताव संख्या 17.03.03: **अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ में वर्ष 2012 में नियुक्त कार्मिकों में से परीवीक्षाकाल अवधि उपरान्त देय परिलाभों से वंचित शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिको को बकाया वेतन जारी करने की अनुमति हेतु विचारार्थ।**

विवरणः महाविद्यालय में वर्ष 2012 में नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों मे से परीवीक्षाकाल उपरान्त देय परिलाभों से वंचित 03 शैक्षणिक एवं 06 अशैक्षणिक कार्मिक, जिनके परीवीक्षाकाल उपरान्त देय परिलाभ, तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ की शाषी परिषद की 16वीं बैठक दिनांक 23.06.2020 के प्रस्ताव संख्या 16.03.02 के निर्णयानुसार जारी किये गये। उक्त कार्मिकों के बकाया वेतन की अन्तर राशि के भुगतान की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः 03 शैक्षणिक एवं 06 अशैक्षणिक कार्मिकों के बकाया वेतन की अन्तर राशि के भुगतान का प्रस्ताव, व्यक्तिगत देय राशि के विवरण सहित, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से अनुमति हेतु प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 17.03.04: **राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ की 16वीं बी.ओ.जी. बैठक दिनांक 23.06.2020 के प्रस्ताव संख्या 16.03.04 में कार्यरत संकाय सदस्यों के कैरियर एडवान्समैन्ट स्कीम (CAS) के तहत ए.जी.पी. उन्नयन (6000–7000) के मामले में लिये गये निर्णय पर स्पष्टीकरण हेतु विचारार्थ।**

विवरणः राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसाईटी झालावाड़ की शाषी परिषद की 16वीं बैठक दिनांक 23.06.2020 के प्रस्ताव संख्या 16.03.04 में अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ में कार्यरत संकाय सदस्यों के कैरियर एडवान्समैन्ट स्कीम (CAS) के तहत ए.जी.पी.

उन्नयन (6000–7000) के मामले में लिये गये निर्णयानुसार विशेष ऑडिट वाले मामलों में CAS का लाभ रोका जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है।

महाविद्यालय के वर्ष 2012 में नियुक्त 06 संकाय सदस्य जिनकी नियुक्ति के मामले में विशेष जॉच की रिपोर्ट मे टिप्पणी वर्णित है, के CAS का लाभ जारी करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्रदान करने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः शाषी परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त 06 संकाय सदस्यों के प्रकरण को इनके मामले में विशेष जॉच के प्रतिवेदन में वर्णित टिप्पणी सहित तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जावे। (कॉमन एजेन्डा निर्णय संख्या 1 के अनुसार)

प्रस्ताव संख्या 17.03.05: **अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ के विभिन्न भवनों व विद्युत सम्बन्धी मेन्टेनेन्स कार्य करवाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।**

विवरणः महाविद्यालय के विभिन्न भवनों जैसे अकादमिक भवन, प्रशासनिक भवन, वर्कशाप, गेस्ट हाउस, छात्र एवं कन्या छात्रावास इत्यादि में मेन्टेनेन्स व मरम्मत कार्य करवाने तथा महाविद्यालय के इलैक्ट्रीकल एवं सिविल अभियांत्रिकी विभाग के भवनों में थ्री–फेस विद्युतीकरण के साथ–साथ महाविद्यालय परिसर में रोड–लाईट के मरम्मत कार्य सहित अन्य विद्युतीकरण के अतिआवश्यक कार्य रुडसिको के माध्यम से करवाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः शाषी परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार महाविद्यालय की विजिट कर मेन्टेनेन्स व मरम्मत के कार्यो की आवश्यकता का अवलोकन करेंगे, तदुपरान्त प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

प्रस्ताव संख्या 17.03.06: **अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ के पूर्व प्राचार्य डॉ. मिथिलेश कुमार द्वारा ई–मेल के माध्यम से दिया गया 7वें वेतन आयोग के अनुसार एरियर का मांग पत्र विचारार्थ।**

विवरणः अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ के पूर्व प्राचार्य डॉ. मिथिलेश कुमार (वर्तमान में प्रोफेसर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा) द्वारा की जा रही 7वें वेतन आयोग के एरियर की मांग के प्रकरण को माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः शाषी परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि डॉ. मिथिलेश कुमार की महाविद्यालय में सेवा अवधि में इनसे सम्बन्धित समस्त तथ्यों सहित प्रकरण संयुक्त शासन सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17.03.07: **अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ के संकाय सदस्य डॉ. विकास कुलश्रेष्ठ द्वारा सी.सी.ए. नियम 16 के तहत आरोपित शास्ति के विरुद्ध अपील एवं अधिवक्ता का लीगल नोटिस विचारार्थ।**

विवरणः अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ के संकाय सदस्य डॉ. विकास कुलश्रेष्ठ द्वारा इनके सी.सी.ए. 16 के तहत अरोपित शास्ति (संचयी प्रभाव से रोकी गई दो वेतन वृद्धि) के विरुद्ध महाविद्यालय को अधिवक्ता के माध्यम से दिये गये विधिक नोटिस के क्रम में दिशा–निर्देश हेतु शाषी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः शाषी परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि विधिक नोटिस का जवाब समस्त तथ्यों सहित अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित किया जावे। अपील के मामले में प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्यों सहित रिपोर्ट तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्तुत की जावे।

प्रस्ताव संख्या 17.03.08: **अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ में कार्यरत महिला कार्मिको हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार चाईल्ड केयर लीव के अभिग्रहण हेतु विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।**

विवरणः राज्य सरकार के राजस्थान सेवा (चतुर्थ संसोधन) नियम, 2018 में नवीन नियम 103 C के तहत अधिसूचना क्रमांक F.1(6)FD/Rules/2011 दिनांक 22.05.2018 से प्रविष्ट चाईल्ड केयर लीव का प्रावधान महाविद्यालय के महिला कार्मिको हेतु अभिग्रहण किये जाने बाबत प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः अनुमोदित। प्राचार्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर चाईल्ड केयर लीव के सम्बन्ध में जारी नियमों एवं सम्बन्धित विभाग में कार्यरत महिला कार्मिकों की संख्या एवं उपलब्धता के अनुसार अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे।

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

दिनांक 21 व 22 सितम्बर, 2020 को ऑनलाइन आयोजित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की बीओजी बैठक के कॉमन निर्णय

1. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के 6th CAS के एजीपी (6000–7000) के प्रकरणों में से जिन प्रकरणों में सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा 2011–12 की भर्ती की विशेष जाँच की कठिनाई अवगत करायी गयी है, उन प्रकरणों को प्राचार्य द्वारा केसवाइज शिक्षक की योग्यता, आक्षेप, निरीक्षण विभाग को जवाब एवं महाविद्यालय का प्रस्ताव सहित प्रकरण तकनीकी शिक्षा विभाग को भिजवाये जावें।
2. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को सी.सी.टी.वी से ऑनलाइन करते हुये प्रेसीडेन्ट महोदय के कार्यालय कक्ष के टी.वी. से जोडा जावें।
3. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत कम कीमत के वेन्टीलेटर एवं हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम निर्माण करने की कार्यवाही की जावें।
4. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को विद्यार्थियों की लर्निंग के लिए ऐप विकसित करने की योजना बनानी चाहिए।
5. आगामी बी.ओ.जी. में सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा Best Practices के बारे में अवगत कराया जावें।
6. अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा विद्यालयो, सोसाइटी व जन प्रतिनिधियों से सतत सम्पर्क किया जाकर प्रवेश बढाये जावें।
7. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं के कम्प्यूटर एवं अन्य Infrastructure का आंकड़ा लिया जावें। इन कम्प्यूटर्स के माध्यम से क्षेत्र के विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कम्प्यूटर ट्रेनिंग की योजना पर विभाग द्वारा कार्ययोजना बनाई जावें।
8. तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नवीन उच्च अध्ययन नीति दिनांक 7.8.2020 एवं संशोधन दिनांक 18.09.2020 का adoption किया गया।
9. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा टेक्यूप के अन्तर्गत अकादमिक ऑडिट वर्तमान सत्र में करवाया जावें।
10. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में वास्तविक प्रवेश के आधार पर स्टाफ (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) की गणना की जावें। इसके आधार पर अन्य महाविद्यालयों में स्टाफ को भेजे जाने के निर्देश विभाग को दिये गये।